



Neutral Citation No. - 2026:AHC:9141

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 41711 वर्ष 2025

अमन सिंह

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : अन्तिमा राजभर

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 68

माननीय न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव

आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता सुश्री अंतिमा राजभर, राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. श्री मनोज कुमार सिंह को सुना एवं प्रकरण के रिकॉर्ड का अवलोकन किया।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बी.एन.एस.एस.) की धारा 483 के अंतर्गत प्रस्तुत वर्तमान जमानत प्रार्थना पत्र आवेदक अमन सिंह की ओर से इस प्रार्थना के साथ दाखिल किया गया है कि उसे मुकदमा अपराध संख्या 248/2025, धारा 8/20, स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985, थाना- कोपागंज, जनपद- मऊ में जमानत पर रिहा किया जाए।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि कथित तौर पर आवेदक के कब्जे से 2.020 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया है। बरामद प्रतिबंधित पदार्थ वाणिज्यिक मात्रा से कम है। वास्तव में, आवेदक से ऐसी कोई वसूली नहीं हुई थी। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि चूंकि इस तरह की बरामदगी स्वतंत्र गवाह द्वारा समर्थित नहीं है, इसलिए अपराध में उसके झूठे फंसने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। आगे यह तर्क दिया गया है कि वर्तमान प्रकरण में अभियोजन पक्ष एनडीपीएस अधिनियम की धारा 50 के प्रावधानों का सख्ती से पालन करने में विफल रहा है। केमिकल एनालिस्ट की कोई रिपोर्ट नहीं है। यह भी तर्क दिया जाता है कि आवेदक पूरी तरह से निर्दोष है और उसे अनावश्यक उत्पीड़न करने और पीड़ित करने के उद्देश्य से वर्तमान

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अपराध में झूठा फंसाया गया है। आवेदक, जो 13.08.2025 से जेल में है, जिसका 12 प्रकरण का आपराधिक इतिहास है, जिसे ठीक से समझाया गया है, जमानत पर रिहा होने का हकदार है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

प्रतिवाद के अनुसार, ए.जी.ए. ने आवेदक की जमानत याचिका का विरोध करते हुए तर्क दिया है कि आवेदक की बेगुनाही को पूर्व परीक्षण चरण में नहीं ठहराया जा सकता है, जो प्रतिबंधित पदार्थ की आपूर्ति में शामिल है, इसलिए, आवेदक किसी भी भोग के लायक नहीं है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है तो वह फिर से इसी तरह की गतिविधि में शामिल होगा।

प्रकरण के तथ्यों पर विचार करते हुए और भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के बड़े जनादेश को ध्यान में रखते हुए, आरोपों की प्रकृति, उसके समर्थन में साक्ष्य की प्रकृति, सजा की गंभीरता जो दोषसिद्धि के लिए होगी, अभियुक्त-आवेदक का चरित्र, ऐसी परिस्थितियां जो अभियुक्त के लिए विशिष्ट हैं, मुकदमे में अभियुक्त की उपस्थिति सुनिश्चित करने की उचित संभावना, गवाहों के साथ छेड़छाड़ की उचित आशंका, जनता/राज्य के व्यापक हित और अन्य परिस्थितियां, लेकिन प्रकरण की योग्यता पर टिप्पणी किए बिना, जमानत के लिए एक प्रकरण बनाया जाता है।

तदनुसार, जमानत आवेदन **स्वीकृत** किया जाता है।

आवेदक **अमन सिंह**, जो उपर्युक्त मुकदमा अपराध में सम्मिलित है, को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अधीन समान धनराशि का व्यक्तिगत बंधपत्र तथा दो प्रतिभूतियाँ प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए :-

1. आवेदक जांच या मुकदमे के दौरान गवाहों को डराकर/दबाव डालकर अभियोजन पक्ष के साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
2. आवेदक किसी भी स्थगन की मांग किए बिना मुकदमे में ईमानदारी से सहयोग करेगा।
3. जमानत पर रिहा होने के बाद आवेदक किसी भी आपराधिक गतिविधि या किसी भी अपराध में शामिल नहीं होगा।

उपरोक्त शर्तों में से किसी के उल्लंघन के प्रकरण में, यह जमानत रद्द करने का आधार होगा। बंधपत्र स्वीकार करने से पहले आवेदक और जमानतदारों की पहचान, स्थिति और निवास प्रमाण को संबंधित न्यायालय द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव)

14 जनवरी, 2026

दीपक/

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।